सुरया पत्नी आबिद

**प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023**

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 76/2023 (2023/ )

1. सायरा बानो पत्नि लियाकत अली खां
2. शाहीन अली पुत्र लियाकत अली खां
3. सुरया पत्नि आबिद
   समस्त जाति मुसलमान निवासीगण जयपुर जिला जयपुर राजस्थान
4. रवि दत्त शर्मा पुत्र सूरजभान शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पावर हाउस के पीछे खेतडी रोड जयपुर

----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर

---अप्रार्थी

**राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थितः–
श्री शिवप्रसाद पाराशर :– अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

**आदेश**

दिनांक 23.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कणोज में प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता पेश की गई। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम मेवदाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

| खाता संख्या नया–पुराना | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 301–272 | 487<br>489<br>490 | 0.50<br>0.25<br>0.10 | बारानी 2<br>बारानी 3<br>बारानी 3 |
| | **कुल किता 3** | **कुल रकबा 0.85 हैक्टर** | |
| 188–175 | 501 | 0.96 | बारानी 3 |
| | **कुल किता 1** | **कुल रकबा 0.96 हैक्टर** | |
| 314–283 | 476<br>477<br>478 | 0.10<br>1.79<br>0.09 | गै.मु.पाल<br>बारानी 2<br>गै.मु.पाल |
| | **कुल किता 3** | **कुल रकबा 1.98 हैक्टर** | |
| 277–252 | 486<br>188 | 2.78<br>0.19 | बारानी 2<br>गै.मु.पाल |
| | **कुल किता 2** | **कुल रकबा 2.97 हैक्टर** | |
| 292–266 | 473<br>474<br>475<br>479<br>480<br>481 | 0.19<br>1.15<br>1.37<br>0.04<br>1.76<br>0.15 | बारानी 2<br>बारानी 2<br>बारानी 2<br>गै.मु.पाल<br>बारानी 2<br>गै.मु.पाल |

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 482 | 0.07 | गै.मु.पाल |
| | 484 | 0.05 | गै.मु.पाल |
| | 485 | 1.54 | बारानी 2 |
| | 491 | 0.13 | बारानी 3 |
| | 492 | 0.24 | बारानी 3 |
| | 493 | 0.21 | बारानी 3 |
| | 494 | 0.59 | बारानी 3 |
| | 495 | 0.05 | गै.मु.पाल |
| | 496 | 0.80 | बारानी 3 |
| | 497 | 0.59 | बारानी 3 |
| | 498 | 0.10 | बारानी 3 |
| | 499 | 0.08 | गै.मु.पाल |
| | 500 | 0.24 | बारानी 3 |
| | 505 | 2.16 | बारानी 3 |
| | 506 | 0.50 | गै.मु.पाल |
| | **कुल किता 21** | **कुल रकबा 12.01 हैक्टर** | |

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है जिस पर अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार हिस्सा नही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे पडोसी खातेदारों में भूमि को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी के कार्यालय में उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। प्रार्थीगण की आराजीयात का सीमांकन नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिसके कारंण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी दौराने केम्प मौके पर उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम मेवदाखुर्द तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 301–272 में दर्ज खसरा नम्बर 487, 489, 490 किता 3, खाता संख्या 188–175 में दर्ज खसरा नम्बर 501, खाता संख्या नया पुराना 314–283 में दर्ज खसरा संख्या 476, 477, 478 किता 3, खाता संख्या 277–252 में दर्ज खसरा नम्बर 486, 488 किता 2, खाता संख्या 292–266 में दर्ज खसरा नम्बर 473, 474, 475, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 505, 506, किता 21 की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कणोज में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)